तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही ... | की तामील व जारी हुए

राजस्व आवेदन संख्या 29/2014 अनवान हिमताराम बनाम नेनाराम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र सनावडा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 01.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र सनावड़ा पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

01.06.2018

यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र सनावड़ा मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 410/294, 377/294 कुल रकबा 77.05 बीघा भूमि ग्राम रामदेवपुरा पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर की नेखमबन्दी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा नॉटिस का कोई जवाब नही दिया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.06.2015 के अनुसार प्रार्थीगण के वादग्रस्त खेत की पक्की नेखमबन्दी हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 188/2015 अनवान श्रीमती मीरा बनाम हिमताराम प्रस्तुत की। उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2016 से प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया गया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 205 की जो सीमाएं उत्तरदातागण के खसरा नम्बर 377/294 से लगती है, के बारे में दोनों पक्षों को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए उक्त खसरा नम्बर 205 की सीमा को प्रभावित किये बिना नेखमबन्दी की कार्रवाई सम्पन्न की जावें। उक्त प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का समूचित अवसर दिया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2018 एवं माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय 19.05.2016 की प्रतियां तहसीलदार बाडमेर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे दोनों निर्णयों के

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 29/2014 अनवान हिमताराम बनाम नेनाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 410/294, 377/294 कुल रकबा 77.05 बीघा भूमि ग्राम रामदेवपुरा पटवार क्षैत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर की पक्की नेखमबन्दी दोनों पक्षों की उपस्थिति में सम्पन्न कर पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाड़मेर	[illegible] 1299/7.6.18

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner